

अति आवश्यक

क्रमांक 3/7/2002-3एन0जी0आई0एस0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा।
- 2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुडगावां तथा रोहतक मण्डल।
- 3 रजिस्टार, पजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़।
- 4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा।
- 5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा।

दिनांक, चण्डीगढ़ 31-07-2012

विषय अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के अन्तर्गत फार्म-1 तथा उनके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नियमित पदोन्नत होने पर फार्म-2 में इन्रोलमेंट संबंधित सूचना भेजने वारे।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 3/7/2002-3एन0जी0आई0एस0 दिनांक 23-05-2011 की ओर दिलाउं और क्रमांक 1/5/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 13-10-89 के पैरा-3 तथा क्रमांक 1/23/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 02-01-90 के अन्तर्गत ग्रुप 'सी' 'बी' 'ए' के कर्मचारियों/अधिकारियों के सरकारी सेवा में ज्वाईन करने पर जी0आई0एस0 की कटौती की हिदायतें क्रमांक 1/23/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 02-01-90 के ग्रुप से दूसरे नियमित पदोन्नत होने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती सरकारी कर्मचारी ग्रुप में नियमित पदोन्नत होने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती सरकारी कर्मचारी ग्रुप इन्श्योरेंस स्कीम, 1985 के नियम 5(2) तथा हिदायतें क्रमांक 1/23/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 02-01-1990 के अन्तर्गत जनवरी वर्ष से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप की जी0आई0एस0 की कटौती करके उनकी पदोन्नति की तिथि

आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीन सभी डी०डी०ओज को निर्देश दें कि वे रामय पर फार्म-ा तथा ा में इन्सोलमेंट सम्बन्धित सूचना अपने विभागाध्यक्ष को भेजते रहें और विभाग यह सुनिश्चित करें कि सूचना चैक करने के उपरान्त ही सरकार को भेजी जाए ताकि सरकारी सेवा में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नियमित तौर पर पदोन्नत किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के सही आंकड़ों तथा उनकी सही की गई जी०आई०एस० की कटौती का सरकार को पता चल सके।

३० हृष्णू बैठा २५.७.१२
अधीक्षक

नई सामूहिक बीमा योजना शाखा
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
~~४२३~~

इसकी एक-२ प्रति सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

२० हृष्णू बैठा २५.७.१२
अधीक्षक

नई सामूहिक बीमा योजना शाखा
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
~~४२३~~

सेवा में

सभी वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा० क्रमांक ३/७/२००२-३एन०जी०आई०एस० दिनांक, चण्डीगढ़ ३।-७-२०१२

पृ० क्रमांक ३/७/२००२-३एन०जी०आई०एस० दिनांक, चण्डीगढ़ ३।-७-२०१२

इसकी एक-२ प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

- 1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा।
- 2 महालेखाकार, ए० एण्ड ई०, हरियाणा।

FORM. 1

(See Clouse 5 (2), 17 (2)

Government of Haryana
Department/Office.....
Dated.....

MEMORANDUM

Shri/Smt..... a Group.....
employees has been enrolled as a member of the Haryana Government
Employees Group Insurance Scheme] 1985 w.e.f.
His/Her monthly subscription of Rs..... (Rs.....
.....) shall be deducted from His/Her salary commencing
from the month of and he/she will be eligible to
the benefits of the schemes appropriate to Group.....
with effect from.....

(Head of Office)

To

Shri/Smt.....
Name and designation of the employee.

FORM. 2

(See Clouse 5 (2), 17 (2)

Government of Haryana
Department.....
Dated

MEMORANDUM

Shri/Smt.....has been promoted on a regular basis, from Group.....to Group..... w.e.f..... His/Her monthly subscription for the Haryana Government Employees Group Insurance Scheme 1985 shall be raised from Rs.....to Rs.....from the Month ofand he/she will be eligible to the benefits of the scheme appropriate to Group.....

(Head of Office)

To

Shri/Smt.....
Name and designation of the employee.